न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/13/2023	2023/294	29.03.2023	29.03.2023

1. कल्याण सहाय योगी पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद योगी , जाति जोगी, निवासी मांजी की वावडी, पुराना राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज0)।

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 22.06.1992 नामान्तकरण संख्या 205 वाके ग्राम राजगढ तहसील राजगढ

उपस्थितः—

01. श्री सुभाष चन्द सैनी — वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 22.06.1992 नामान्तकरण संख्या 205 वाके ग्राम राजगढ तहसील राजगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान अपीलान्ट वकील ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.1992 नामान्तकरण विरासत संख्या 205 वाके ग्राम राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर की अपीलान्ट की आराजी हाल खाता संख्या 777, आराजी खसरा नं. 2026/0.14, 2027/0.07, 2029/0.14, 2037/0.12, 2162/0.05, 3435/4600/0.01, 3440/0.08, 3442/0.09, 3443/0.08, 3463/4599/0.11 कुल किता 10 कुल रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम राजगढ में स्थित है। जिस आराजी पर अपीलाण्ट 1/16 हिस्से का काबिज रिकॉडेड खातेदार काश्तकार है। जिस आराजी पर पूर्व में अपीलाण्ट के पिता मृतक गिर्राज पुत्र रामेश्वर नाथ जोगी बतौर खातेदार काविज होकर काश्त किया करते थे। कालान्तर में अपीलाण्ट के पिता गिर्राज पुत्र रामेश्वर नाथ जोगी का स्वर्गवास हो जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 22.06.1992 को मृतक गिर्राज की विरासत अपीलाण्ट, उसकी माता निहाली, भाई

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

मोहन व सुरेश के पक्ष में दर्ज कर स्वीकार किया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा सहवन से अपीलाण्ट का नाम कल्याण के स्थान पर किलाण दर्ज कर दिया गया। उक्त आधार पर ही आराजी में अपीलाण्ट का नाम किलाण दर्ज चला आ रहा है। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम कल्याण है। जिसके संबंध में अपीलाण्ट द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ई–श्रम कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स तथा समस्त शैक्षणिक दस्तावेज में कल्याण नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाते हुए अपील में वर्णित नामान्तकरण संख्या 205 को निरस्त फरमाते हुए अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का निवेदन है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 22.06.1992 को नामान्तकरण संख्या 205 स्वीकार करते समय सहवन से अपीलान्ट का नाम किलाण दर्ज कर दिया गया है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ई–श्रम कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स तथा समस्त शैक्षणिक दस्तावेज में कल्याण नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.1992 से स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 205 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.1992 नामान्तकरण संख्या 205 वाके ग्राम राजगढ तहसील राजगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 205 वाके ग्राम राजगढ तहसील राजगढ के संदर्भ में वारिसान की जांच कर एवं संबंधित पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)